## न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
## पीठासीन अधिकारी– जगदीश आर्य

सिविल प्रकरण संख्याः– 43/2022 तारीख रजू 21.12.2022

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
..........आवेदक

**बनाम**

1. श्री हेमराज शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा, निवांसी 121 रामनगर ए ज्योति नर्सिंग होम के पीछे, सवाई माधोपुर (एफबीओ व मालिक)–फर्म–शर्मा दूध डेयरी, आशा होटल के पीछे, बजरिया, सवाई माधोपुर
2. नवीन खण्डेलवाल पार्टनर मैसर्सः सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट, ए–4, मोहित नगर, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
3. छोटे लाल सैनी, पार्टनर मैसर्सः सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट, ए–4, मोहित नगर, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।
4. मैसर्सः सांवरिया एग्रो फूड प्रोडक्ट, ए–4, मोहित नगर, सरना डूंगर इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर।

......... अभियुक्तगण

**न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011**

**निर्णयः** **दिनांक 24.05.2024**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री पदम सिंह परमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 10.01.2022 को रात 07.45 बजे मैसर्स शर्मा दूध डेयरी, आशा होटल के पीछे, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुंचा मौके पर मौजूद विक्रेता को अपना परिचय देकर उसके नाम व पते पूछे, तो उसने अपना नाम हेमराज शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा, निवासी 121 रामनगर ए ज्योति नर्सिंग होम के पीछे, सवाई माधोपुर (एफबीओ व मालिक)–फर्म–शर्मा दूध डेयरी, आशा होटल के पीछे, बजरिया, सवाई माधोपुर बताया एवं उससे खाद्य अनुज्ञा पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 दिखाने को कहा तो उसने खाद्य लाइसेन्स संख्या 22219067001244 मौके पर दिखाया। आवेदक द्वारा नमूना संख्या **H-2186** खाद्य वस्तु **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** कार्टून में बिक्री हेतु रखा हुआ था को देखने पर मिलावटी प्रतीत होने पर उक्त **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** का नमूना वास्ते जांच देने हेतु विक्रेता से कहा और फार्म 5ए मौके पर भरकर एक प्रति पर प्राप्ति के हस्ताक्षर लिये गवाहान के

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षंर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उक्त कार्टून में से 1–1 लीटर के **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** में से 4 लीटर 1–1 लीटर की **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता हेमराज शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा को रू. 600/– (छः सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 लीटर **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** को विक्रेता व गवाहान को दिखाकर चार नमूना भाग तैयार किये तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक **H-2186** खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, परिरक्षक फार्मलीन की मात्रा आदि दर्ज कर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक H-2186 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर दिनांक 10.01.2022 नमूनीकरण की कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता हेमराज शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहान के हस्ताक्षकर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये। आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की एक प्रति के एक आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर श्री मोहम्मद असलम, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील बन्द कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को श्री बुद्धिप्रकाश मीना वार्ड बॉय के द्वारा जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/ 22/195 दिनांक 04.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/202/एक्ट/2022/231 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य वस्तु **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) प्रकृति का होना पाया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) प्रकृति के **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माना योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक ने अभियुक्त पर उचित जुर्माना लगाने का निवेदन किया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये। अभियुक्त संख्या 2 लगायत 4 जरिये नोमिनी उपस्थित हुए। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्तगण ने अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) प्रकृति के **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** का विक्रय/निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्तगण ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा अभियुक्त की दुकान से **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** का सेम्पल भरा गया था जिसको जयपुर की लेब द्वारा सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का माना गया है। अन्त में अभियुक्त ने प्रकरण में गलती स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/202/एक्ट/2022/231 दिनांक 28.01.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) प्रकृति का होना पाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा बहस में अपराध स्वीकार कर प्रकरण में न्यूनतम शास्ति लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) **कुकिंग मीडियम (विश्वास गोल्ड)** का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत सभी अभियुक्त पर समान कुल 30,000/–रू0 (अक्षरे तीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **24.05.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर